इंस्पेक्टर आफ वर्क्स ग्रेड–1 के लिये साक्षात्कार

3799 **श्री दयाराम शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे मे इस्पेक्टर आफ वर्क्स ग्रेड-1 वेतनमान (700–900 रु०) के पदो के लिए 17 जन, 1975 को हुई लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के लिये जिन कर्मचारियो को अनुमति दी गई उनके नाम क्या है तथा उनकी नियुक्ति की तारीखे, अर्हताये, पदनाम और तकनीकी अनुभव क्या-क्या है, और

(ख) चुने गये व्यक्तियो के नाम, उनकी नियुक्ति की तारीखे, अर्हताये, पदनाम और तकनीकी अनुभव क्या-क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** सख्या एल० टी० 1875/78]

रेल मंत्रालय के आदेश

3800 **श्री दयाराम शाक्य :** क्या रेल मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशो का पूर्वोत्तर रेलवे मे पालन किया जाता है; और

(ख) यदि हा, तो मत्रालय द्वारा चयन और पदोन्नति आदि के बारे मे बनाये गये नियमो का उक्त रेलवे मे पालन क्यो नही किया जाता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हा ।

(ख) चयन, पदोन्नति आदि से सबधित नियमों का कडाई से पालन किया जाता है ।

मसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी को निःशुल्क पास

3801. **श्री आर० एल० कुरील :**

श्री हरगोविन्द वर्मा :

क्या रेल मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मे स्वतन्त्रता प्राप्ति मे पूर्व सभी एकाधिकारवादी ठेकेदारो के ठेके समाप्त कर दिये गये थे ,

(ख) यदि हा, तो मैसर्स व्हीलर एण्ड कम्पनी के रेलवे बुक स्टालो के एकाधिकार का समाप्त न किये जाने के क्या कारण है,

(ग) मैसर्स व्हीलर एण्ड कम्पनी द्वारा रेलवे को दी जाने वाली रायल्टी से रेलवे को कितनी मासिक आय होती है ,

(घ) रेलवे द्वारा इस कम्पनी को कितने तथा कितने मूल्य के वातानुकूलित, प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के निःशुल्क पास दिये जाते है ,

(ङ) इसके क्या कारण है और इसके परिणामस्वरूप रेलवे को गत वर्ष कितनी हानि हुई , और

(च) क्या स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व रेलवे एक वर्ष के लिए ठेका देती थी और स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् ठेके तीन वर्ष के लिये दिये जाते है परन्तु मैसर्स व्हीलर एण्ड कम्पनी का नौ वर्ष के लिए ठेका देने के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख). वर्तमान प्रमुख बुक स्टाल ठेकेदार ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी, मैसर्स गुलाब सिह एण्ड सन्स

और मैसर्स हिग्गिनबोथम्स के पास रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टाल के ठेके स्वतन्त्रता से पहले से चले आ रहे हैं । मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी द्वारा एक सम्पूर्ण क्षेत्रीय रेलवे अथवा उसके अधिकतर क्षेत्रों को छोड़ कर बुक स्टाल खोलने के लिए पहले जिस एकाधिकार का उपयोग किया जाता था, उसे 1-8-1960 से समाप्त कर दिया गया था और इस समय एकाधिकार रखने वाला बुक स्टाल ठेकेदार रेलों पर कोई नहीं है ।

(ग) विगत 3 वर्षों में मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा भुगतान की गयी रायल्टी नीचे दिखायी गयी है :—

1975	5,39,083 रु०
1976	6,31,965 रु०
1977	7,07,000 रु० (अनुमानित)

(घ) और (ङ). किसी भी बुक स्टाल ठेकेदार को वातानुकूलित दर्जे का पास जारी नहीं किया गया है । इस समय मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को पहले दर्जे के 32 और दूसरे दर्जे के 40 कार्ड पास जारी किये गये हैं । चूंकि इन पासों के उपयोग करने पर निर्भर करता है इसलिए इन कार्ड पासों का मूल्य निर्धारित करने का कोई मापदंड नहीं है । मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी तथा अन्य प्रमुख ठेकेदारों को भी ये पास बहुत से स्टेशनों पर और एक से अधिक क्षेत्रीय रेलों पर फैली हुई बुक स्टालों के प्रभावी और संतोषजनक पर्यवेक्षण तथा संचालन और अनुरक्षण के लिये जारी किये गये है । चूंकि यह एक यात्री सुविधा सम्बन्धी काम है इस बात को ध्यान में रखते हुए इन पासों की वजह से रेलो को हानि उठाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

(च) 1967 से पहले सभी बुक स्टाल ठेकों का कार्यकाल समान रूप से 5 वर्ष था । करार में उल्लिखित खण्ड के अनुसार तीनों प्रमुख बुक स्टाल ठेकेदारों, मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी, मैसर्स हिग्गिनबोथम्स और मैसर्स गुलाब सिंह एण्ड सन्स के ठेकों का "अविवेचित नवीकरण" हो गया था । चूंकि "अविवेचित नवीकरण" के खण्ड की व्यवस्था से ये ठेकेदार रेलो पर स्थायी हो जाते अतः 1-1-1967 से इन तीन प्रमुख ठेकेदारो के अनुवर्ती करारो में से खण्ड को समाप्त करने का विनिश्चय किया गया था । इस नवीकरण खण्ड को निकालने के विनिश्चय के परिव्यय स्वरूप इन तीनो ठेकेदारों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए और केन्द्रीय विधि मंत्रालय के सुझाव के अनुसार, इस मामले पर ठेकेदारो के साथ वार्ता की गयी । ये ठेकेदार "अविवेचित नवीकरण" खण्ड को समाप्त करने के बारे में सहमत हो गये बशर्ते कि उन्हे 9 वर्ष की अधिक समय वाली अवधि दी जाये । "अविवेचित नवीकरण" खण्ड मे शामिल विपरीत वैधानिक उलझनो का ध्यान मे रखते हुए, 1-1-1967 से इन तीनो ठेकेदारो की समय अवधि 5 वर्ष से बढ़ा कर 9 वर्ष कर दी गयी और अविवेचित नवीकरण खण्ड को निकाल दिया गया था । ।

Complaints received by Monopolies Commission against Firms

3802. SHRI V M. SUDHEERAN:
SHRI VAYALAR RAVI:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total number of complaints received by the Monopoly Commission during the last five years and the names of the firms; and

(b) the action taken on these complaints and cases pending before the Commission?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) The M.R.T.P. Commission received